

ISSN 0973-9777
GSI Impact Factor 0.2310

वर्ष - ६ अंक - ६ नवम्बर-दिसम्बर 2012

भारतीय शीघ्र पत्रिका
आठवीक्षकी
मासद्वयी अन्तर्राष्ट्रीय शीघ्र समग्र पत्रिका



एम.सी.ए.एस.वी.टी.
मासिक्षकी-जी १८८८ में स्थापित
लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रकाशित

महीषा प्रकाशन
www.mahisha.com

आन्वीक्षिकी

भारतीय शोध पत्रिका

मासद्वयी अन्तर्राष्ट्रीय शोध समग्र पत्रिका

प्रधान सम्पादिका

डॉ. मनीष शुक्ला,maneeshashukla76@rediffmail.com

पुनर्निरीक्षक संपादक

प्रो. विभा रानी दुबे, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी, उ.प्र., भारत

डॉ. नागेन्द्र नारायण मिश्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, उ.प्र., भारत

सम्पादक

डॉ. महेन्द्र शुक्ल, डॉ. अंशुमाला मिश्र

सम्पादक मण्डल

डॉ. एस. पी. उपाध्याय, डॉ. अनीता सिंह, डॉ. राधा वर्मा, डॉ. प्रभा दीक्षित, डॉ. विशाल अशोक आहेर, डॉ. गीता देवी गुप्ता,

ज्योति प्रकाश, डॉ. पद्मिनी रविन्द्रनाथ, डॉ. (श्रीमती) विभा चतुर्वेदी, डॉ. नीलमणि प्रसाद सिंह, डॉ. प्रेम चन्द्र यादव,

डॉ. रामनिवास पटेल, डॉ. मुकुल खण्डेलवाल, मनोज कुमार सिंह, सरिता वर्मा, उमाशंकर राम, अवनीश शुक्ला, विजयलक्ष्मी, कविता, विनय कुमार पटेल, अर्चना बलवीर, खगेश नाथ गर्ग, मुन्ना लाल गुप्ता,

अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकार मण्डल

रेव डोडामगोडा सुमनासार (श्रीलंका), वेन केन्डागोले सुमनारांसी थेरो (श्रीलंका), रेव टी धम्मारतना (श्रीलंका),

पी.विराची सोडामा (श्रीलंका), प्रा च्युतिदेश सैन्सोम्बट (बैंकाक, थाईलैंड), प्रा बूनसर्मस्त्रिथा (थाईलैंड), डॉ. सीताराम बहादुर थापा (नेपाल), मोहम्मद सौरजाई (जाबोल, ईरान), माजिद करीमजादेह (ईरान), डॉ. अहमद रेजा केर्इखाय फरजानेह (जाहेडान, ईरान),

मोहम्मद जारेई (जाहेडान, ईरान), मोहम्मद मोजटाबा केयाहफरजानेह (जाहेडान, ईरान),

डॉ. होसैन जेनाबदी (सिस्तान एवं बलूचिस्तान, ईरान), मोहम्मद जावेद केयाह फरजानेह (जाबोल, ईरान)

प्रबन्धक

महेश्वर शुक्ल,maheshwar.shukla@rediffmail.com

सारांश एवं सूचीपत्र

मोतीलाल बनारसीदास सूचीपत्र वाराणसी, मोतीलाल बनारसीदास सूचीपत्र दिल्ली, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय पत्रिका

सूचीपत्र वाराणसी, सेन्ट्रल न्यूज एजेंसी सूचीपत्र दिल्ली, डी.के.पब्लिकेशन सूचीपत्र दिल्ली, नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्प्यूनिकेशन एण्ड इन्फारमेशन रिसोर्स सूचीपत्र दिल्ली, नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजूकेशन सूचीपत्र गौतमबुद्ध नगर

पाठकों से

आन्वीक्षिकी, भारतीय शोध पत्रिका प्रत्येक दो माह (जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितम्बर एवं नवम्बर) पर एम.पी.ए.एस.वी.ओ.मुद्रण वाराणसी उ.प्र. भारत द्वारा प्रकाशित की जाती है। एक वर्ष में आन्वीक्षिकी, भारतीय शोध पत्रिका 6 भाग हिन्दी एवं 6 भाग अंग्रेजी एवं 3 अतिरिक्तांकों के भाग में प्रकाशित की जाती है। डॉक खर्च दर के सम्बन्ध में जानकारी हेतु सम्पर्क करें।

वार्षिक पाठक मूल्य दर

संस्थागत : भारतीय 4,500+500/-डाक शुल्क, एक प्रति 1000+51/- डाक शुल्क, वैदेशिक : 6000+डॉक खर्च, एक प्रति 1000+डाक शुल्क

व्यक्तिगत : 3,500+500/-डाक शुल्क, एक प्रति 500+51 डाक शुल्क सहित, वैदेशिक 5000+डाक शुल्क, एक प्रति 1000+डाक शुल्क

विज्ञापन एवं निवेदन

विज्ञापन के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रधान सम्पादिका के पते पर संपर्क करें। आन्वीक्षिकी एक स्ववित्तपोषित पत्रिका है, अतः किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग सराहनीय होगा। कृपया अपनी सहयोग राशि चेक अथवा ड्राफ्ट के माध्यम से निम्नलिखित पते पर प्रेषित करें।

सभी पत्राचार निम्नलिखित पते पर ही प्रेषित करें-

बी.32/16 ए. 2/1, गोपालकुंज, नरिया, लंका वाराणसी उ.प्र. भारत, पिन कोड 221005 मोबाइल नं. 09935784387,

टेलीफोन नं. 0542-2310539, E-mail : maneeshashukla76@rediffmail.com, www.anvikshikijournal.com

मिलने का समय : 3-5 दिन में (रविवार अवकाश)

पत्रिका संयोजन

महेश्वर शुक्ल,maheshwar.shukla@rediffmail.com

प्रकाशन

एम.पी.ए.एस.वी.ओ.मुद्रण

मनीष प्रकाशन



(पत्रावली संख्या V-34564, पंजीकरण संख्या 533/
2007-2008 बी.32/16 ए. 2/1, गोपालकुंज, नरिया,
लंका वाराणसी उ.प्र. भारत)

आन्वीक्षिकी

भारतीय शोध पत्रिका

वर्ष-6 अंक-6 नवम्बर-2012

शोध प्रपत्र

समाज में प्रतिष्ठित बौद्ध धर्म -डॉ. मनीषा शुक्ला 1-2

हरिव्यासदेव की दृष्टि में जीव : एक विहंगावलोकन -शेफाली प्रियदर्शिनी 3-7

संस्कृत गीतिकाव्य 'गीत गोविन्द' में भक्ति भाव निरूपण -डॉ. शाहीन ज़ाफरी 8-10

काव्यदोष -प्रियंका गुप्ता 11-12

साकेत का विरह वर्णन -डॉ. मुकुल खण्डेलवाल 13-15

उत्तर आधुनिकता और हिन्दी गद्य -डॉ. विभा मेहरोत्रा 16-17

नेपाली और प्रकृति : एक समीक्षा -डॉ. मनोहर कुमार श्रीवास्तव 18-22

निस्सीम होते शब्द : एक लोककाव्य -लक्ष्मी 23-25

देवदासियों की स्थिति पर संवेदना प्रकट करती 'दुख तंत्र' की कविताएँ -डॉ. राधा वर्मा 26-31

संत कबीर का अक्खड़ी दर्शन एवं उनके राम -बजेश कुमार तिवारी 32-35

जुही की कली -डॉ. मुकुल खण्डेलवाल 36-38

वैश्वीकरण के दौर में राजभाषा -अर्चना बलवीर एवं मुन्ना लाल गुप्ता 39-42

कृष्णभक्त सूरदास का जीवन परिचय¹ एवं उनकी कृतियाँ -प्रभात रंजन पाठक 43-46

कांग्रेस की स्थापना : मिथक एवं सत्य -डॉ. कृष्णा प्रसाद 47-50

भारत में बालश्रम एवं उसके दुष्परिणाम -डॉ. प्रेम चन्द्र यादव 51-54

ई-गवर्नेन्स : गुड गवर्नेन्स का बेहतर माध्यम -डॉ. रामनिवास पटेल 55-58

ब्रिटिश संविधान का विकास, स्वरूप एवं विशेषताएँ -डॉ. कृष्णा प्रसाद 59-62

भारत विभाजन एक समग्र अवलोकन -मनोज कुमार सिंह 63-66

इतिहास, शास्त्र, गीता एवं रामायण में शूद्र का स्थान एवं वर्णन -सुशील कुमार दूबे 67-71

कुषाण शासकों के सिक्कों का क्रमिक मूल्यांकन -मनोज कुमार सिंह 72-75

उत्पादन सम्बन्ध, औद्योगिक सम्बन्ध एवं अर्थव्यवस्था का अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन -डॉ. सीमा कुमारी 76-78

भारत में ग्रामीण बेरोजगारी निवारण में रोजगार गारण्टी योजना का योगदान -डॉ. राजेश निगम 79-80

जनजातीय विवाहों के प्रकार एवं व्यवहार का समाजशास्त्रीय अध्ययन -अनीता कुमारी 81-84

आयुर्विज्ञान की वर्तमान संदर्भों में उपादेयता : शल्य चिकित्सा के विशेष संदर्भ में -डॉ. चित्रा सिंह तोमर 85-87

माध्यमिक स्तर के छात्रों पर मीडिया के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन -डॉ. निशा अग्रवाल 88-92

ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में स्थित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं

की कार्य सन्तुष्टि का अध्ययन -अनील कुमार आहूजा एवं डॉ. वीरेन्द्र सिंह यादव 93-96

शिशु-मृत्यु दर एवं उसके कारण -डॉ. कंचन कुलश्रेष्ठ, डॉ. रीता बक्शी एवं मिसेज मुनेश नेहरा 97-101

बाल्मीकि रामायण में मानव मूल्य की अवधारणा -अनामिका सिंह 102-107

भारत में उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण -डॉ. अतुल प्रताप सिंह 108-112

भारत में उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण

डॉ. अतुल प्रताप सिंह*

लेखक का घोषणा-पत्र

भारतीय शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशनार्थ प्रेषित भारत में उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण शीर्षक लेख / शोध प्रपत्र का लेखक मैं अतुल प्रताप सिंह घोषणा करता हूँ कि लेखक के रूप में इस लेख की सभी सामग्रियों की जिम्मेदारी लेता हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं इसे लिखा है और अच्छी तरह से पढ़ा है और साथ ही अपने लेख / शोध प्रपत्र को शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशित होने की स्वीकृति देता हूँ। मैं शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी के सम्पादक मण्डल को अपने लेख के संशोधन एवं सम्पादन की पूर्ण अनुमति देता हूँ। आन्वीक्षिकी में लेख प्रकाशित होने पर इसके कापीराइट का अधिकार सम्पादक को देता हूँ।

सारांश

1765 से लेकर 1947 तक भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की कहानी भारत के उपनिवेशवादी शोषण की कहानी है। भारत के आर्थिक शोषण की यह प्रणाली कुछ समय स्थापित की गयी थी जब ब्रिटेन ने पूँजीवाद के युग में प्रवेश कर लिया था। अतः भारत का शोषण वस्तुतः ब्रिटिश पूँजी के द्वारा किया गया शोषण था। चूंकि शोषण के 180 वर्षों के काल में ब्रिटिश पूँजी का चरित्र एक समान नहीं रहा, उसमें बदलाव आता रहा। अतः उसके द्वारा भारत में अपनायी गयी शोषण की पद्धति चरित्र और तीव्रता में भी परिवर्तन आता रहा। आर. सी. दत्त के अनुसार, इस काल के आरम्भ में ब्रिटिश पूँजी का रूप वाणिज्यिक था। 19 वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में वाणिज्यिक पूँजी के विकास के फलस्वरूप इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रांति हुई तथा पूँजी का स्वरूप भी औद्योगिक पूँजी का हो गया। 20 वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक यह वित्तीय पूँजीवाद में बदल गया। ब्रिटिश पूँजी के इस बदलते स्वरूप के आधार पर भारत में उपनिवेशवाद की तीन अवस्थायें रही। 1. वणिक पूँजी का काल, 2. औद्योगिक पूँजी का काल, 3. वित्तीय पूँजी का काल।

उपनिवेशवाद एक एकीकृत ढांचा नहीं है। यह विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। औपनिवेशिक देश का दमन व शोषण स्थिर रहता है, केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में दमन एवं शोषण का रूप बदलता है। भारत में उपनिवेशवाद को तीन अवस्थाओं में बाँटा जा सकता है, प्रत्येक अवस्था में औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, समाज व राज्य व्यवस्था के दमन के भिन्न प्रतिमानों का भिन्न रूप रहा है। अतः जनता की प्रतिक्रिया भी भिन्न रही है।

प्रथम अवस्था एकाधिपत्य व्यापार तथा प्रत्यक्ष विनियोग (ईस्ट इंडिया कम्पनी का शासन (1757-1813) का काल कहलाता है। इस अवस्था में कम्पनी के दो लक्ष्य थे :

1. भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना।
2. राज्य सत्ता पर नियंत्रण द्वारा सरकारी राजस्व को प्रत्यक्ष रूप से विनियुक्त कराना।

* प्रवक्ता, इतिहास विभाग, पी. आर. बी. एस. डिग्री कॉलेज रायबरेली (उत्तर प्रदेश) भारत

इन दोनों तथ्यों को पहले बंगाल व दक्षिण भारत के भागों और फिर शेष वर्षों में सम्पूर्ण भारत पर विजय के साथ बड़ी तीव्र गति से पूरा किया गया। 1757 से जब अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीता, कम्पनी का बंगाल के साथ व्यापार तथा लूट के एक विशेष युग का आरम्भ हुआ। यह वणिकवाद का युग था। वणिकवाद जो 16 वीं से 18 वीं शताब्दी तक बहुत लोकप्रिय था, प्राचीन साम्राज्यवादी प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग था। वास्तव में यह आक्रामक राष्ट्रवाद का आर्थिक प्रतिकार था। इसका मूलभूत आधार यह था कि समस्त आर्थिक कार्यविधि को राष्ट्र के हित में तथा शक्तिशाली बनाने के लिए नियमित किया जाना चाहिए। जहाँ तक विदेशी व्यापार का सम्बन्ध था, इसका अर्थ यह था कि राजपत्रित व्यापारिक कम्पनियों द्वारा इसका नियमन किया जाय ताकि आयात से अधिक निर्यात किया जाय; अर्थात् संतुलन देश के हित में हो और दूसरे मातृभूमि के अन्दर सोना-चांदी अधिकाधिक आये। व्यापारिक कम्पनियां यह उद्देश्य तीन तरीकों से प्राप्त करती थीं :

1. व्यापार पर एकाधिकार हो और सभी सम्भव प्रतिद्वन्द्वी समाप्त कर दिये जाये।
2. वस्तुएं कम से कम मूल्य पर खरीदी जायें और अधिकाधिक मूल्य पर बेची जाय।
3. उपर्युक्त उद्देश्य तभी प्राप्त हो सकते थे। यदि व्यापार किये जाने वाले देश पर राजनीतिक नियंत्रण हो।

कम्पनी ने भारतीय व्यापार व हस्तशिल्प उत्पादन पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करके एकाधिकार प्राप्त कर लिया। भारतीय व्यापारियों को धीरे-धीरे प्रतिस्थापित तथा बरबाद कर दिया गया। जबकि बुनकर व अन्य शिल्पकार अपना माल कम मूल्यों पर बेचने के लिए कम वेतन पर काम करने के लिए बाध्य किये गये।

1800 ई. तक भारतीय उद्योग धंधे संसार में सबसे अधिक विकसित थे, क्योंकि अभी उद्योग केवल कुटीर उद्योग ही थे। उसके उपरान्त देश में एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप विदेशों में [औद्योगीकरण](#) होने लगा और उत्पादन बढ़ने लगा। भारत में औद्योगिक पतन हुआ और धीरे-धीरे उत्पादन कम और अधिक कम होता चला गया। इस युग को हम [अनौद्योगीकरण](#) का काल कह सकते हैं। भारत के परम्परागत हस्त शिल्प उद्योग का ह्लास हुआ। यह वही काल था जब इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रांति दृढ़ता से पैर जमा रही थी और भारतीय अर्थ व्यवस्था पर इंग्लैण्ड का नियंत्रण सुदृढ़ होता जा रहा था।

राजनीतिक विजय के साथ कम्पनी ने भारतीय राज्यों के राजस्व पर प्रत्यक्ष नियंत्रण प्राप्त कर लिया तथा राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग करके कंपनी तथा उसके कर्मचारियों ने भारतीय व्यापारियों, अधिकारियों, अभिजात शासक वर्ग शासकों व [जर्मीदारों](#) से असीम धन वसूल किया। धीरे-धीरे बड़ी मात्रा में अधिक वेतन पाने वाले अधिकारी भारत में नियुक्त किये गये तथा उनके वेतन व पेंशन अतिरेक विनियोग का एक रूप बन गये।

इस काल के उपनिवेशवादी एक मुख्य विशेषता यह थी कि उपनिवेश में (बंगाल को छोड़कर) प्रशासन, न्यायिक व्यवस्था, परिवहन तथा संचार, कृषि का औद्योगिक उत्पादन के ढंग, व्यापार प्रबन्ध व आर्थिक संगठन के रूपों में कोई मूल परिवर्तन नहीं किये गये क्योंकि विद्यमान मशीनरी सफलतापूर्वक भूराजस्व एकत्र कर रही थी। शिक्षा व बुद्धिजीवी क्षेत्र तथा सांस्कृतिक, व सामाजिक संगठन में भी कोई परिवर्तन नहीं किये गये थे। कारण कि ये सभी क्षेत्र औपनिवेशिक शोषण में बाधक नहीं थे तथा इन्हें सहानुभूतिपूर्वक समझने की आवश्यकता थी ताकि राजनीतिक नियंत्रण व आर्थिक शोषण भारतीयों की धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विचारों का विरोध किये बिना सरलता से आगे बढ़ सके।

द्वितीय अवस्था व्यापार द्वारा शोषण का काल था, इसे मुक्त व्यापार का उपनिवेशवाद भी कहा गया। इस समय इंग्लैण्ड औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रहा था। अतः ब्रिटेन भारत को अपने अर्धीनस्थ ऐसा व्यापारिक भागीदार बनाना चाहता था जिसका बाजार के रूप में शोषण हो सके तथा वह ब्रिटेन की आवश्यकतानुसार कच्चामाल व खाद्य पदार्थ भेजे व बनाया करें। परिणामस्वरूप ब्रिटेन ने ऐसा माल बनाया व निर्यात किया जो कि कारखानों में विकसित तकनीक व कम श्रम शक्ति का प्रयोग करके बनाया गया था, इसमें उत्पादकता व वेतन का स्तर बहुत [ऊँचा](#) था। दूसरी तरफ भारत ने उत्पादन के पिछड़े हुए तरीकों से अत्यधिक श्रम शक्ति का प्रयोग करते हुए कृषि सम्बन्धी कच्चा माल बनाया जो कम उत्पादकता व कम वेतन का कारण बना।

किन्तु भारत अपनी विद्यमान आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक एवं सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था में इस नये तरीके से शोषित नहीं किया जा सकता था। इसलिए इस व्यवस्था को पूर्णरूपेण बदलना था। ब्रिटिश भारतीय सरकार ने 1813 के बाद

ऐसा करना प्रारम्भ किया। भारत में सभी आयात कर या तो पूर्ण रूप से हटा दिये गये या बहुत कम कर दिये गये। भारत में चाय, कॉफी तथा नील के बागानों, व्यापार, परिवहन, खान व आधुनिक उद्योग धंधे विकसित करने के लिए ब्रिटिश पूँजीपतियों को बिना रोक-टोक प्रवेश की अनुमति दी तथा इन्हें (पूँजीपतियों) को सर्वथा सहायता दी। आयातित माल के विक्रय एवं कच्चे माल के अधिकतम निर्यात के लिए नहरों, नदियों का विकास किया गया एवं सड़के व रेलवे लाइन का निर्माण किया गया। प्रशासन अधिक विस्तृत व व्यापक बनाया गया। अतः यह देश के गांवों व दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचा जिससे ब्रिटिश माल देश के भीतरी एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच सके और वहां से भी कृषि उत्पादन प्राप्त किया जा सके। पूँजीवादी व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए भारत के कानूनी एवं न्यायिक ढांचे में परिवर्तन किये गये। परिवर्तन व विकास का वातावरण बनाने तथा शासकों के प्रति वफादारी की संस्कृति पैदा करने के लिए अंग्रेजी को राजभाषा बनाया गया। यदि भारतीय सामाजिक-आर्थिक ढांचे को मूलतः परिवर्तित करना था तो इसकी विद्यमान संस्कृति व सामाजिक संगठन को अनुपयुक्त व पतनशील घोषित करना था। अतः अब भारतीय संस्कृति व समाज तीव्र आलोचना के विषय थे।

तृतीय चरण उपनिवेशों के लिए विदेशी लागत और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का युग कहा जाता है। लगभग 1860 से भारत में उपनिवेशवाद की एक नयी अवस्था प्रारम्भ की गयी। औद्योगिकृत देशों में तीव्र औद्योगिक विकास के कारण जनसंख्या बढ़ी जिस कारण अधिकाधिक भोजन की आवश्यकता हुई। उपनिवेशों के शोषण से इन देशों में पूँजी का अत्यधिक संचार होगा, जिसमें बड़ी मात्रा में पूँजी के निर्यात को प्रेरित किया तथा कच्चे माल के लिए नये क्षेत्रों की आवश्यकता हुई।

इस प्रकार पूँजीनिवेश के लिए बाजार कच्चामाल और क्षेत्रों की अपनी खोज में पूँजीवादी देशों ने अपने बीच विश्व का विभाजन एवं पुनर्विभाजन प्रारम्भ कर दिया।

इस अवस्था के दौरान संसार में ब्रिटेन की स्थिति को प्रतिद्वन्द्वी पूँजीवादी देशों द्वारा लगातार चुनौती दी गयी तथा कमजोर की गयी। अतः भारत पर अपना नियंत्रण दृढ़ करने के लिए अब इसने सशक्त प्रयत्न किए। उदार साम्राज्यवादी नीतियाँ अब प्रतिक्रियात्मक साम्राज्यवादी नीतियों में बदल दी गयी जो कि लिटन, डफरिन तथा कर्जन के वायसराय काल में प्रतिविम्बित हुआ। प्रतिद्वन्द्वियों को बाहर रखने, ब्रिटिश पूँजी को आकृष्ट करने तथा इसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत में औपनिवेशिक शासन मजबूत करना आवश्यक था। 1850 के बाद ब्रिटिश पूँजी की बहुत बड़ी मात्रा भारत में रेलवे, बागान, जूट खाने, कोयला खान आदि में लगायी गयी थी।

उपनिवेशवाद की विचारधारा में अब एक मुख्य परिवर्तन आ गया। भारतीय लोगों को स्वशासन के लिए प्रशिक्षण देने की सभी बाते समाप्त हो गयी। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के दबाव के फलस्वरूप 1918 के बाद में यह दोहराया गया। ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारतीय लोगों पर स्थायी प्रशासन घोषित कर दिया गया। भारतीय जनता स्थायी रूप से अपरिपक्व या अव्यवस्थित जनता घोषित कर दी गयी थी। जिसे ब्रिटिश नियंत्रण (न्यायिक) की आवश्यकता थी। इसलिए ब्रिटेन को उन पर आने वाले शताब्दियों के लिए सद्भावपूर्ण तानाशाही का प्रयोग करना था।

कम्पनी के अधीन भारत में भारतीय कृषि से अधिकाधिक कर प्राप्ति करने की इच्छा से भिन्न-भिन्न प्रयोग किये खुली नीलामी, स्थायी बन्दोवस्त, महालवाड़ी, रेयतवाड़ी। वे पद्धतियाँ भारतीयों की दृष्टि से सफल नहीं हुई किन्तु अंग्रेजों के हित पूर्ति का साधन बनी तथा भारतीय किसान अन्ततः जर्मीदारों, साहूकारों, उपसामंतों का दास बन कर रह गया।

औद्योगिक इंडस्ट्रीज को भारत के कृषि साधनों के विकास करने की आवश्यकता थी, परन्तु इसमें एक रुकावट यह थी कि भारत का कच्चा माल उच्च कोटि का नहीं था। इस त्रुटि को पूर्ण करने के लिए यह आवश्यक था, अंग्रेजी नागरिकों को भारत में मुक्त रूप से जाने तथा बसने की अनुमति हो। इसलिए चार्टर एक्ट 1833 ने यूरोपिय लोगों के भारत में जाकर बसने तथा सम्पत्ति खरीदने की अनुमति दे दी। अब अंग्रेजी पूँजी भारत की चाय, कॉफी, नील और पटसन के बगीचों में लगायी जाने लगी। भारत सरकार ने उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान की। ऐलिस तथा डेनियल थार्नर ने यह ठीक ही अनुमान लगाया है कि भारत में उद्योग से कृषि की ओर प्रचलन 1815-1880 के बीच हुआ। दुर्भाग्य से 1881 के पूर्व से कोई आंकड़े प्राप्त नहीं हैं। आर. पी. दत्त ने 1891-1921 तक की चार जनगणना रिपोर्टों के परीक्षण के आधार पर निम्नलिखित आंकड़े दिये हैं :

1891	61.1 प्रतिशत
1901	66.5 प्रतिशत
1911	72.2 प्रतिशत
1921	73.0 प्रतिशत

1931 की जनगणना रिपोर्ट में कृषि तथा अन्य चारागाह सम्बन्धी कार्यों में लगी जनसंख्या की दर 61.1 प्रतिशत दी है। कृषि पर आधारित जनसंख्या के बढ़ने से निर्धनता बढ़ी न कि उपज। भारत का कृषि उत्पादन स्थिर रहा, जबकि जनसंख्या बढ़ते रहने के कारण 20 वीं शताब्दी के चतुर्थांश में निर्धनता बढ़ती ही चली गयी।

अंग्रेजी पूँजीपतियों ने भारतीय बैंक, व्यापार, विनियम संस्थान तथा बीमा कम्पनियों पर अभिभावी नियंत्रण बना लिया, इसके साथ राजकीय संरक्षण के कारण भारतीय अर्थ व्यवस्था के कुछ औद्योगिक क्षेत्रों पर भी अपनी पकड़ सुदृढ़ कर ली। अनुमानों के अनुसार 1913 में विदेशी बैंकों के पास भारत की जमा राशि का 3/4 भाग था और भारतीय बैंकों के पास केवल 1/4 भाग। ये विदेशी बैंक ऋण के मामले में जातीय तथा राजनीतिक भेदभाव करते थे और भारतीयों को न तो यह सरलता से उपलब्ध था और न ही ब्याज की दर कम होती थी। जबकि विदेशी व्यापारियों को अथवा उद्योगपतियों को यह सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं।

अंग्रेजों के आने से सबसे अधिक हानि उद्योगों को हुई। प्लासी युद्ध के पश्चात् अंग्रेजों ने बंगाल की मंडियों से अपने विरोधी (फ्रांसिसी, डच, डेन आदि) भारतीय माल को क्रय करने वालों को समाप्त कर दिया और भारतीय व्यापारियों को इतना थोड़ा मूल्य देने लगे कि शिल्पियों ने माल ही बनाना बन्द कर दिया। इसके अलावा 18 वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जब अंग्रेजी माल भारत आने लगा तो उसपर आयात शुल्क नहीं के बराबर लगाया गया। परिणामस्वरूप भारतीय उद्योग समाप्त सा हो गया। भारत में पूँजीवादी उत्पाद एवं वुर्जवा व्यापार के चलते कुटीर एवं लघु उद्योगों का नाश तो हुआ किन्तु उनके स्थान पर भारत का औद्योगिकीकरण नहीं होने दिया गया। तथा जो कुछ उद्योग प्रथम विश्व युद्ध के कारण पनपे वे 1929-30 ई. की आर्थिक मंदी में समाप्त हो गये क्योंकि बैंकों के धनों पर अंग्रेजों का ही नियंत्रण था। यह सत्य है कि कपड़ा, सीमेंट, पटसन कागज आदि उद्योग भारत में प्रारम्भ हो गये थे, परन्तु भारत तुलनात्मक दृष्टि से बहुत पीछे था।

अतः स्पष्ट है कि उपनिवेशवाद ने भारतीय समृद्धि के आधार को ही समाप्त कर दिया क्योंकि इससे पूर्व भी भारत को लूटा गया। किन्तु यह लूट इतनी स्थायी सिद्ध हुई कि आज भी हमें यह अंग्रेजी साम्राज्य की शोषक प्रकृति का स्मरण कराती है तथा भारत आज भी इससे उबरने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा जब अंग्रेज यहाँ से गये तो हमारे लिए रक्त रंजित राजनीति, नष्ट, भ्रष्ट अर्थव्यवस्था अस्वस्थ समाज और सबसे प्रमुख, आर्थिक उपनिवेशवाद का भय छोड़ गये।

उपरोक्त के आधार पर कहा जा सकता है कि अंग्रेजों ने भारत के सम्मानित आर्थिक धन का शोषण करने हेतु पूर्ण तथा कपटी मार्ग अपनाये और जब वे गये तो 1947 में भारत आर्थिक रूप से अविकसित देश का चित्र प्रस्तुत करता था, जिसमें भूखमरी, निर्धनता तथा थोड़ी राष्ट्रीय आय थी। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरणों का यह विश्लेषण स्पष्ट करता है कि यह साम्राज्यवाद भारत में अभी तक स्थापित हुई, सभी व्यवस्थाओं से भिन्न था। अभी तक तो हुआ कि बाहर से आक्रान्ता लाये और या तो महमूद की तरह लूट कर चले गये या अन्यों के तरह भारत में ही शासक बनकर ठहर गये, किन्तु उन्होंने लूट व शोषण करते समय देश के आर्थिक ढांचे के आधार पर कोई चोट नहीं की। इसके विपरीत ब्रिटिश शासन में इस ढांचे को ही नष्ट कर दिया। ऐसा करके उपनिवेशवाद में जहाँ देश को आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा और बरबाद बना दिया, वहाँ उन शक्तियों को भी जन्म दिया, जिन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जॉन शुलिवन से ठीक ही कहा है कि “हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पन्ज के रूप में काम करती है जो गंगा के किनारे से प्रत्येक अच्छी वस्तु ले लेती है, फिर टेम्स नदी के किनारे पर निचोड़ देती है।”

सन्दर्भ

भट्टाचार्या, सव्यसाची (2008) - ‘आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास’ (1850-1947), राजकमल प्रकाशन, 1-बी, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-110002

मिश्रा, गिरिश (2004) - 'आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास', ग्रन्थ शिल्पी (इण्डया प्रा. लि.), बी-7, सरस्वती काम्प्लेक्स, सुभाष चौक,
लक्ष्मीनगर, दिल्ली-110094

MAJUMDAR, R.C.RAYCHAUDHURI, H.C, DATA, KALIKINKAR ; 'An Advanced History of India', Macmillan and
Co. Limited, St. Martin's Street, London.

सरकार सुमित (1997) - 'आधुनिक भारत (1885-1947 ई.), राजकमल प्रकाशन, प्रा. लि., 1-बी, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई
दिल्ली-110002

शुक्ला, आर. एल. (1998) - 'आधुनिक भारत का इतिहास', ग्रन्थ शिल्पी (इण्डया प्रा. लि.), बी-7, सरस्वती काम्प्लेक्स, सुभाष चौक,
लक्ष्मीनगर, दिल्ली-110094

PRASHAD, ISHWARI SUBEDAR, S.K.; 'History of Modern Indian', (1740-1950 A.D.), The Indian Press Ltd., Allahabad.

लेखकों के लिए निर्देश

शोधपत्र का अनुरोध

लेखक अपना शोधपत्र डॉ. मनीषा शुक्ला ,प्रधान सम्पादिका आन्वीक्षिकी भारतीय शोध पत्रिका को ई-मेल पर प्रेषित करें।
(maneeshashukla76@rediffmail.com)

प्राप्त शोधपत्र पत्रिका में प्रकाशन के पूर्व पुनर्निरीक्षित किये जायेंगे। स्वीकृत शोधपत्र कहीं और प्रकाशित नहीं होना चाहिए और न ही उस शोधपत्र का कोई भी भाग प्रधान सम्पादिका के अनुमति के बिना कहीं और प्रकाशित किया जा सकता है। कृपया अपने शोधपत्र की पाण्डुलिपि निम्न भागों में तैयार करें, शीर्षक ; सारांश ; पाण्डुलिपि ; पुस्तक संदर्भ सूची। कृपया पुनर्निरीक्षण की गुणवत्ता में सहायता करने हेतु अपना नाम पता पाण्डुलिपि पर न दें।

शीर्षक : शीर्षक पाण्डुलिपि पर अवश्य दें, किन्तु अपना पूरा नाम, पता, संस्था जहाँ पर अध्ययन अथवा अध्यापन कार्य सम्पादित किया गया हो, आपका विषय, दूरभाष अथवा मोबाइल, फैक्स, ई-मेल पत्राचार हेतु अलग पृष्ठ पर अवश्य दें।

उपर्युक्त तथ्य आपके शोधपत्र के शब्द सीमा के अन्तर्गत ही माना जायेगा।

सारांश : कृपया शोधपत्र का सारांश 120 शब्दों में दें।

पाण्डुलिपि : इसके अन्तर्गत मुख्य पाठ्य सामग्री होगी ; जो 5 से 10 पृष्ठ तक होनी चाहिये। शोधपत्र 10 पृष्ठ से (सारांश, शब्द संक्षेप, संदर्भ सूची समेत) अधिक प्रकाशन हेतु स्वीकार नहीं किया जायेगा। अन्यथा वृहद् शोधपत्र (10 पृष्ठ से अधिक) प्रकाशन में देर भी हो सकती है। लेखक को यह बात स्वीकार होनी चाहिए कि शोधपत्र पुनर्निरीक्षण के दौरान किये गये संशोधन उन्हें मान्य होंगे। शोधपत्र प्रकाशन के दौरान त्रुटि की सम्भावना न बने इसका पूरा ध्यान रखा जाता है फिर भी कोई त्रुटि पाये जाने पर लेखक संशोधित रीप्रिंट प्राप्त कर सकता है ; पत्रिका में संशोधन की व्यवस्था नहीं है।

सन्दर्भ वर्णमालाक्रमानुसार : शोधपत्र के समापन पर कृपया संदर्भ वर्णमाला क्रमानुसार दें। पत्रिका का वर्ष, लेखक, पृष्ठ संख्या, भाग इत्यादि विस्तार से दें। पुस्तक शीर्षक या पत्रिका शीर्षक इटालिक दें।

पुस्तक : प्रकाशक का नाम, संस्करण संख्या, प्रकाशन वर्ष, लेखक का नाम, पुस्तक का नाम, पृष्ठ संख्या

पत्रिका : पत्रिका का नाम, लेख का शीर्षक, लेखक का नाम, प्रकाशक का नाम, अंक संख्या/माह, वार्षिक अथवा अर्द्धवार्षिक अथवा मासिक जो भी हो स्पष्ट करें।

समाचार पत्र : प्रकाशक, तिथि, सन्, पृष्ठ संख्या,

इंटरनेट : वेबसाइट, पृष्ठ संख्या, मुख्य शीर्षक, अन्तः शीर्षक।

मानचित्र एवं सारणी : मानचित्र एवं सारणी अथवा चित्र शोधपत्र की समाप्ति के अन्त में दें। यह ब्लैक एण्ड व्हाइट ही होना चाहिए। इसका स्पष्ट संकेत पाण्डुलिपि में दें (उदाहरण सारणी संख्या 1)

विशेष : कृपया अपना शोधपत्र ई-मेल करने के बाद डॉक से अवश्य भेजें। अपने शोधपत्र के साथ-साथ अपना वायोडाटा, फोटो, स्वपता लिखा लिफाफा (25 रु के टिकट सहित) भेजें। शोधपत्र यदि हिन्दी भाषा में है तो ए.पी.एस प्रियंका रोमन (ए.पी.एस. कार्पोरेट 2000++) में तैयार सी.डी के साथ दें। शोधपत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर लेखक को स्वीकृति पत्र प्रेषित कर दिया जायेगा। ई-मेल से प्राप्त शोधपत्र हेतु ई-मेल से स्वीकृति भेजी जायेगी। शोधपत्र प्रेषित करने के पूर्व प्रधान सम्पादिका से दूरभाष पर अवश्य सम्पर्क करें। सम्पादक मण्डल अथवा सलाहकार समिति में सम्मिलित करने का अंतिम निर्णय संस्था का होगा।

सदस्यों से निवेदन है कि वर्ष में 20 सदस्य पत्रिका से जोड़कर संस्था का सहयोग करें।

Search Research papers of The Indian Journal of Research Anvikshiki-ISSN 0973-9777 in the Websites given below

<http://nkrc.niscair.res.in/BrowseByTitle.php?keyword=A>



www.icmje.org



www.scholar.google.co.in




www.kMLE.co.kr



www.fileaway.info



www.banaras.academia.edu



www.www.edu-doc.com



www.docslibrary.com



www.dandroidtips.com



www.printfu.org



www.cn.doc-cafes.com



www.freetechebooks.com



www.google.com



www.onlineijra.com

ISSN 0973-9777



09739777

₹ 1000/-